बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या 64/2014 के अन्तर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में "श्रम एवं समाज कल्याण" विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:–

दिनांक एवं दिन	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
03.12.2021 (शुक्रवार)	xxxxxxx	64010094, 64010102, 64010106, 64010140, 64010222

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र–II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
3. **वैसे उम्मीदवार जो विज्ञापन की अन्य न्यूनतम शर्त्तों को पूरा करते हुए दिनांक–01.12.2002 के पूर्व बेट (BET) / सेट (SET) उत्तीर्ण है उन्हें औपबंधिक रूप से अर्हित करते हुए शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। वैधिक स्थिति के अनुसार इनकी अर्हता पर अंतिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**
4. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–**
   - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
   - (ii) मैट्रिक का मूल अंक प्रमाण पत्र ।
   - (iii) इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र।
   - (iv) इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र।
   - (v) स्नातक का मूल अंक पत्र।
   - (vi) स्नातक की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   - (vii) स्नातकोत्तर का मूल अंक पत्र।
   - (viii) स्नातकोत्तर की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   - (ix) नेट (NET) /बेट (BET) /सेट (SET) की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
   - (x) पीएच.डी. का डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   - (xi) अभ्यर्थी विशेष के नाम से पीएच॰डी॰ यू॰जी॰सी॰ परिनियम 2009 के साथ उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र।
   - (xii) एम॰फिल॰ उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
   - (xiii) अभ्यर्थी विशेष के नाम से एम॰फिल॰ यू॰जी॰सी॰ परिनियम 2009 के साथ होने का मूल प्रमाण पत्र।
   - (xiv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र **(महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम से बना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।**
   - (xv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र (मूल में) **(महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के पत्ते के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।**
   - (xvi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (मूल में), जो पिता के नाम एवं उनके निवास स्थान के पत्ते के आधार पर निर्गत हो, प्रस्तुत करना होगा।
   - (xvii) निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र (मूल में) ।
   - (xviii) पहचान पत्र (फोटो सहित) (मूल में) ।

   साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (05.01.2015) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

   यदि आप अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा शारीरिक विकलांगता के स्तर तथा आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
5. UGC (Minimum Standard and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009 **की कंडिका 20 का उद्धरण निम्नवत् है** – "Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution deemed to be

University, College/Institution of National Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा Ph.D./M.Phil, With UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें मुख्य रूप से निदेश दिया जाता है कि वे अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करेंगेः—

1. Pre Ph.D./ Course Work का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
2. Ph.D./M.Phil के निबंधन की तिथि एवं संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र।
3. Ph.D./M.Phil, कितने एवं कौन–कौन Criteria से उत्तीर्ण हैं, से संबंधित प्रमाण पत्र। मात्र Criteria की संख्या लिखने से संबंधित प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।
   साक्षात्कार की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा यदि उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके Ph.D./M.Phil उपाधि को Without UGC Regulation 2009 के अंतर्गत माना जायेगा और तदनुसार ही उन्हें अधिभार अंक दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रथम स्तर पर Ph.D. With UGC Regulation 2009 के आधार पर स्वीकृत की गयी है, वे अभ्यर्थी No NET, Ph.D. Without UGC Regulation 2009 के कारण अनर्हित समझे जायेंगे और उसकी जबावदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। UGC Regulation 2009 की Criteria से संबंधित रजिस्ट्रार के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

6. NET – जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NET पास करने का दावा किया गया है, उन्हें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (दिनांक 05.01.2015) या उससे पूर्व NET पास होने सम्बन्धी निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. बेट (BET) / सेट (SET) - जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक–01.12.2002 के पूर्व बेट (BET) / सेट (SET) उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है उन्हें बेट (BET) / सेट (SET) के निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
9. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासमय आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
11. **साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक्स पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।**

23.11.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना